न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 161/2018
GCMS NO. : 2018/00183

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. तेजाराम पुत्र भंवरू जाति माली निवासी आ.कालू तहसील जैतारण जिला– पाली।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 21/05/2018

उपस्थितः– 1. श्री करणीदार चारण, पुष्पेन्द्र सेन,अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 21/03/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का सरहद मौजा– आ.कालू चक प्रथम तहसील जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1827 रकबा 00–17 बीघा भूमि आई हुई है नकल जमाबंदी साथ पेश है। उक्त भूमि का सीमांकन किया जाना आवश्यक है व सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाई जानी जरूरी है जिससे कि मौके पर भौतिक रूप से भूमि की सीमाओ का ज्ञान व जानकारी हो सके। प्रार्थी के जमाबंदी में वर्णित खातेदारान् को भौतिक रूप से समस्त रकबे व क्षैत्रफल की जानकारी करवाई जाना जरूरी है जिससे की कोई विवाद नही हो। धारा 128 आर एल एक्ट के माफिक श्रीमान को क्षेत्राधिकार है इस हेतू अप्रार्थी को निर्देश किया जाना जरूरी है भूमि का सीमांकन करवाते समय पुलिस इमदाद दिया जाना भी आवश्यक है जिससे विवाद न हो तथा मामला अन्तिम रूप से निर्णित किया जा सके। खसरा नम्बर 1827 रकबा 00–17 बीघा के बाबत में अप्रार्थी को निवेदन किया तो बताया कि श्रीमान के न्यायालय से कार्यवाही पेश कर निर्देश दिलाए जावे ऐसी स्थिति तें प्रार्थी की ओर से यह कार्यवाही पेश है। धारा 128 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतू श्रीमान सक्षम है तथा अन्दर म्याद में यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश कर जाहिर किया कि ग्राम आनन्दपुर कालू प्रथम के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 297 में खसरा नम्बर 1827 रकबा 00–17 बीघा किस्म चाही प्रथम में तेजराज पुत्र भंवरू सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसरे का सीमांकन खसरे मे रहवासी मकान बने होने के कारण बन्दोबस्त व बिना किया जाना सम्भव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:47 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू चक प्रथम के स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1827 रकबा 00-17 बीघा भूमि का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाई जानी जरूरी है। अतः पुलिस इमदाद के जरिए सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी के रूप में केवल तहसीलदार जैतारण को संयोजित किया है तथा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख नही किया है कि उसका किन पड़ौसी खातेदारान् से सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है तथा ऐसे पड़ौसी खातेदारान् की आराजी खसरा संख्या का भी उल्लेख नही किया है।

3. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी तेजराज पुत्र भंवरू वादग्रस्त 17 बिस्वा भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। तथा उक्त भूमि पर रहवासी मकान बने हुए है।

4. वादग्रस्त आराजी की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त 17 बिस्वा आराजी में 15 सहखातेदार दर्ज है। तथा सहखातेदारान् के मध्य वादग्रस्त आराजी पर विभाजन नही हो रखा है। अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार के रूप में संयोजित भी नही किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार होने, अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार संयोजित नही करने, पक्षकारान् के मध्य कानूनी रूप से खाता विभाजित नही होने, वादग्रस्त आराजी की सीमाओ से लगते खसरान् की आराजी के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नही करने तथा प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नही करने कि उसका किन-किन पड़ौसी खातेदारान् की कौन-कौन से खसरान् की भूमि से किस रूप में सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है, अतः ऐसी परिस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 128 के अन्तर्गत किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता, अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी) जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/03/2022 को सर-ए-[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी) जैतारण
(जिला-पाली)